

(103)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं०सं०-म० नि० -II-उ० यो० -86/2021-22/18 शि=कि/मत्स्य, राँची, दिनांक 03/09/2021

प्रेषक,

अबुबकर सिद्दीख पी० भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय-

केन्द्र प्रायोजित "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना" का वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्वैधिकृत केन्द्रांश तथा राज्य योजना से अंशदान एवं लाभुक का अंशदान सहित कुल मो० 1881.50 लाख (अठारह करोड़ एकासी लाख पचास हजार) रू० की लागत पर व्यय हेतु योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा चालू केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (केन्द्रांश 60 : राज्यांश 40)" का वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्वैधिकृत केन्द्रांश तथा राज्य योजना से अंशदान एवं लाभुक का अंशदान सहित कुल मो० 1881.50 लाख (अठारह करोड़ एकासी लाख पचास हजार) रू० मात्र की लागत पर व्यय हेतु योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त स्वीकृत राशि की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :-
(राशि लाख रू० में)

मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अन्तर्गत उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना

क्रम०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध		स्वीकृत राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
101-अन्तर्देशीय मछली पालन					
1	01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050010177010109	21.60	0.00	0.00	0.00
2	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050010177010323	14.00	0.00	0.00	0.00
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	1450.00	991.00	156.21	104.14
	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649				
उप योग:-		1485.60	991.00	156.21	104.14

Handwritten mark

Handwritten signature

क्रम0	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध		स्वीकृत राशि	
		केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना					
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	550.00	366.00	37.53	25.02
उप योग:-		550.00	366.00	37.53	25.02
796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना					
1	01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय (केन्द्रांश) 53C24050079677010109	32.40	0.00	0.00	0.00
2	03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री (केन्द्रांश) 53C24050079677010323	20.00	0.00	0.00	0.00
3	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649 06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	1500.00	1035.00	105.72	70.48
उप योग:-		1552.40	1035.00	105.72	70.48
कुल योग:-		3588.00	2392.00	299.46	199.64

3. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी।

4. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 है।

5. इस केन्द्र प्रायोजित योजना में सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों लाभुक हो सकते हैं। निजी क्षेत्र के लिए लाभुक जनित योजनाओं में कोटिवार लाभुकों का अंशदान निम्न प्रकार है:-

लाभुकों की कोटि	अनुदान की राशि *		लाभुक का अंशदान
	केन्द्रांश	राज्यांश	
सामान्य	60 %	40%	60 %
अनुसूचित जनजाति	60 %	40%	40%
अनुसूचित जाति	60 %	40%	40%
महिला	60 %	40%	40%

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए "राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति" (SLAMC) के अनुमोदन उपरांत पत्रांक-1359 दिनांक-22.10.2020 द्वारा भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था। इसके आलोक में मत्स्य पालन, पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- j-01011/1/2020-Fy दिनांक-25.01.2021 द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

7. उक्त कंडिका - '6' में अंकित प्रशासनिक स्वीकृति के अतिरिक्त मत्स्य पालन, पशुपालन एवं गव्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- j-01011/1/2020-Fy दिनांक-22.03.2021 द्वारा अतिरिक्त परियोजनाओं के लिए झारखण्ड राज्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

347

67

101

8. कंडिका - 7 में अंकित प्रशासनिक अनुमोदन द्वारा कोटिवार स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत (लाभुकों के अंशदान सहित) मो0 1881.50 लाख रू0 है। इसमें केन्द्र सरकार का अंशदान मो0 598.92 लाख रू0 है। राज्य सरकार का अंशदान मो0 399.28 लाख रू0 तथा लाभुकों का अंशदान मो0 883.30 लाख रू0 है।

इसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2020-21 में केन्द्र सरकार द्वारा अपने अंशदान की आधी राशि अर्थात मो0 299.46 लाख रू0 प्रथम किरत के रूप में विमुक्त एवं चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्वैधिकृत की गई है। राशि की विमुक्ति निम्न प्रकार की गई है-

क्र० सं०	भारत सरकार का पत्रांक/दिनांक	कोटि	राशि (लाख रू0 में)
1.	J-01011/1/2020-Fy दिनांक-22.03.2021	सामान्य/महिला सहित	218.55
2.	J-01011/1/2020-Fy दिनांक-22.03.2021	अनु० जनजाति	43.38
3.	J-01011/1/2020-Fy दिनांक-22.03.2021	अनु० जाति	37.53
		कुल	299.46

(भारत सरकार के द्वारा निर्गत पुनर्वैधीकरण आदेश का पत्रांक-J-18001/1/2017-Fy (E-4611) दिनांक-04.05.2021 है।)

9. योजना कार्यान्वयन की प्रक्रिया :

इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की मार्गदर्शिका तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अंतर्गत निर्गत राज्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021 की कंडिका '10' से '13' के अनुरूप किया जाएगा।

10. वर्ष 2020-21 में DLCs से स्वीकृत लक्ष्य SLAMC के अनुशंसित प्रस्ताव के तहत ही जिलावार भौतिक/वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा पुनर्वैधीकृत केन्द्रांश एवं समानुपातिक राज्यांश बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जाएगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों के द्वारा अपना अंशदान व्यय किया जाए। कार्य की प्रगति के अनुसार तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी तथा अंतिम किस्त कार्य पूर्ण होने के बाद विमुक्त की जाएगी।

11. केन्द्रांश की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा भौतिक प्रगति का प्रतिवेदन भारत सरकार को नियमित रूप से भेजा जाएगा।

12. वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजना अंतर्गत निर्गत राज्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021 के आलोक में मो० 2198.36 लाख रू० मात्र की निकासी की गई है एवं व्यय प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रियाधीन है।

13. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में भारत सरकार द्वारा इस योजना हेतु निर्गत दिशा-निर्देश, प्रशासनिक अनुमोदन एवं राशि विमुक्ति हेतु निर्गत पत्रों में निहित सभी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

14. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का प्रथम स्वीकृत्यादेश {राज्यादेश सं० 49 रा० (वि०) दिनांक 31.03.2021} मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर० -01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के अनुपालन में योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.03.2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय, जिसका संसूचन योजना-सह-वित्त विभाग के पत्रांक रा०यो०प्रा०-41 राँची, दिनांक 24.03.2021 द्वारा किया गया है एवं मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री के अनुमोदन के


व.नाथ

102


आलोक में निर्गत किया गया है। दिनांक 29.06.2021 को आहूत मंत्रिपरिषद् की बैठक में योजना कार्यान्वयन की घटनोत्तर की स्वीकृति प्राप्त है।

15. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्राप्त है :-
 - I व्यय बजट उपबंध के अन्तर्गत हो।
 - II किसी भी परिस्थिति में विषयगत योजना का दोहरीकरण न हो।
 - III स्वीकृत्यादेश प्रारूप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।


विश्वासभाजन


(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव


ज्ञापांक 1857 (कि) मत्स्य / राँची, दिनांक 03/09/2021
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1857 (कि) मत्स्य / राँची, दिनांक 03/09/2021
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड, राँची/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/ जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 1857 (कि) मत्स्य / राँची, दिनांक 03/09/2021
प्रतिलिपि : अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव

परिशिष्ट-1
 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्स्वीकृत कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (Rs. In lakh)

Sl. No.	Name of the Component	Unit Cost	Unit (No./Ha.)	District	Category (Beneficiary nos.)						Amount Sanctioned by Govt									
					General		ST	SC	Women		General		ST		SC		Women		Total	
					General	Total	ST	SC	Women	Total	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State	Central	State
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				दरभंगा	2	0	3	3	8	1.440	0.960	0.000	0.000	3.240	2.160	3.240	2.160	7.920	5.280	
				देवघर	16	1	3	5	25	11.520	7.680	1.080	0.720	3.240	2.160	5.400	3.600	21.240	14.160	
				मुमका	0	2	0	3	5	0.000	0.000	2.160	1.440	0.000	0.000	3.240	2.160	5.400	3.600	
				पाकुड़	2	6	6	1	15	1.440	0.960	6.480	4.320	6.480	4.320	1.080	0.720	3.240	2.160	
				गोड्डा	4	0	1	3	8	2.880	1.920	0.000	0.000	1.080	0.720	3.240	2.160	7.200	4.800	
				जामशेदपुर	1	0	0	3	4	0.720	0.480	0.000	0.000	0.000	0.000	3.240	2.160	3.960	2.640	
				साहेबगंज	5	0	0	0	5	3.600	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.600	2.400	
				Total	62	47	37	37	183	44.640	29.760	50.760	33.840	39.960	26.640	39.960	26.640	175.320	116.880	
				TOTAL						156.84	104.56	86.76	57.84	75.06	50.04	280.26	186.84	598.92	399.28	
				भारत सरकार द्वारा विमुक्त केन्द्रांच एव समानुपातिक विमुक्त राज्यांच की राशि						78.42	52.28	43.38	28.92	37.53	25.02	140.13	93.42	299.46	199.64	

(कर्मचारी वरिष्ठ को अलग में समझा करें।)

[Handwritten signature]

(अनुकरन भरत सिंह को)
 सरकार के साथ

परिशिष्ट-1
 वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्बिकृत कोटिवार मासिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी (rs. in lakh)

Sl. No.	Name of the Component	Unit Cost	Unit (No./ Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned by Govt												
					General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
5.3 b	04 मी0 व्यास एवं 1.5 मी0 उचाई के 07 डैक वाले छोटे बायोफ्लॉक की स्थापना	750	Nos.	सरायकेला	1	1	0	0	2	1.800	1.200	2.700	1.800	0.000	0.000	0.000	8.100	5.400	3.600	10.800		
				हजारीबाग	9	0	0	10	16.200	10.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27.000	18.000	2.700	1.800	43.200	28.800	
				कोडरमा	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	2.700	1.800	2.700	1.800	
				बोकारो	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	2.700	1.800	2.700	1.800	
				धनबाद	1	0	0	1	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	1.800	4.500	3.000
				गिरिडीह	0	0	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	2.700	1.800
				बलार	1	0	0	2	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.400	3.600	7.200	4.800
				पाकुड़	0	1	0	3	0.000	0.000	2.700	1.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.100	5.400	10.800	7.200
				साहेबगंज	1	0	1	2	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.400	3.600	9.900	6.600
				गोंडाल	2	2	0	7	3.600	2.400	5.400	3.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.900	12.600	27.900	18.600
Total				29	10	3	39	81	52.200	34.800	27.000	18.000	8.100	5.400	105.300	70.200	192.600	128.400				

B. INFRASTRUCTURE AND POST-HARVEST MANAGEMENT

Sl. No.	Name of the Component	Unit Cost	Unit (No./ Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned by Govt													
					General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
6.7	मछली बिछी के लिए आइस बॉक्स के साथ पीपल मछिया बाइल (5-12वर्षा भी)	3.00	Nos.	बॉकी	1	4	3	1	9	0.720	0.480	4.320	2.880	3.240	2.160	1.080	0.000	0.000	0.000	9.360	6.240		
				खुदी	0	4	2	0	6	0.000	0.000	4.320	2.880	2.160	1.440	0.000	0.000	0.000	0.000	6.480	4.320		
				गुमला	2	3	3	2	10	1.440	0.960	3.240	2.160	3.240	2.160	3.240	2.160	2.160	2.160	1.440	10.080	6.720	
				लौरदागा	2	10	0	1	13	1.440	0.960	10.800	7.200	0.000	0.000	0.000	1.080	0.720	0.000	0.720	13.320	8.880	
				रिमडंगा	2	2	3	0	7	1.440	0.960	2.160	1.440	3.240	2.160	3.240	2.160	2.160	0.000	0.000	6.840	4.560	
				लोनेशार	0	2	2	0	4	0.000	0.000	2.160	1.440	2.160	1.440	2.160	1.440	1.440	0.000	0.000	4.320	2.880	
				परागु	3	3	4	1	11	2.160	1.440	3.240	2.160	1.440	4.320	2.880	1.080	0.000	0.000	0.720	10.800	7.200	
				वाडगारा	0	2	0	0	2	0.000	0.000	2.160	1.440	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.160	1.440	
				सरायकेला	5	4	0	3	12	3.600	2.400	4.320	2.880	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.240	2.160	2.880	11.160	7.440
				हजारीबाग	7	1	3	4	15	5.040	3.360	1.080	0.720	3.240	2.880	0.000	0.000	0.000	4.320	2.880	13.680	9.120	
परागु	3	2	1	5	11	2.160	1.440	2.160	1.440	1.080	0.720	1.080	0.720	5.400	3.600	3.600	10.800	7.200					
कोडरमा	0	0	1	2	3	0.000	0.000	0.000	0.000	1.080	1.080	0.000	0.720	2.160	1.440	0.000	3.240	2.160					
बोकारो	4	0	1	0	5	2.880	1.920	0.000	0.000	1.080	1.080	0.000	0.720	0.000	0.000	0.000	3.960	2.640					
धनबाद	1	1	0	0	2	0.720	0.480	1.080	0.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.800	1.200					
गिरिडीह	2	0	1	0	3	1.440	0.960	0.000	0.000	1.080	0.720	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.520	1.680					

99

परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रधानमंत्री मत्स्य समृद्धि योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु पुनर्स्वीकृत कोटिवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी। (Rs. in lakhs)

Amount Sanctioned by GoI

Sl. No.	Name of the Component	Unit Cost (No./Ha.)	Name of the District	Category (Beneficiary nos.)					Amount Sanctioned by GoI														
				General	ST	SC	Women	Total	General		ST		SC		Women		Total						
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1	ENHANCEMENT OF PRODUCTION AND PRODUCTIVITY																						
5	Technology infusion and adaptation																						
5.1 a	बड़े आकारों में (फिरबुंदकी पक्वान्नाकार (शिरस) इनाई की खारवा (मम से कम 60 पत्रों/वर्ग मीटर) एवं 40 से 25/वर्ग मीटर) उपकरण की समीक्षा	50.00	Nos.	रौंदा	1	0	0	0	1	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	8.000			
				सरायकेला	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000			
				एजरीबाग	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000			
				कोडरमा	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000			
				देवर	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000			
				जामताड़ा	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	90.000	60.000			
				Total	1	0	0	5	6	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000	57.000	38.000		
				पराग	2	1	2	2	7	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	8.000			
				खगड़	2	0	0	0	2	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	8.000			
				Total	4	1	2	2	9	24.000	16.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.000	12.000	69.000	46.000	
5.2 a	मम उपकरण (फिरबुंदकी पक्वान्नाकार (शिरस) इनाई की खारवा (मम से कम 60 पत्रों/वर्ग मीटर) एवं 40 से 25/वर्ग मीटर) उपकरण की समीक्षा	25.00	Nos.	रौंदा	0	0	1	0	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				एजरीबाग	2	0	0	1	3	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	6.000	9.000	6.000
				पराग	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	6.000	9.000	6.000
				गोडला	2	0	0	1	3	12.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	6.000	9.000	6.000
				Total	4	0	1	3	8	24.000	16.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27.000	18.000	60.000	40.000
5.2 b	04 मीटर एवं 1 मीटर के 25 टंक वाले मजम बायोप्लैक की खारवा	25.00	Nos.	रौंदा	9	2	0	9	20	16.200	10.800	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	2.700	1.800	
				रौंदा	0	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				एजरीबाग	1	2	1	5	5	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.700	1.800	2.700	1.800	
				कोडरमा	1	0	0	2	2	3.600	2.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				देवर	2	0	0	0	2	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				जामताड़ा	1	0	0	0	1	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				पराग	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				खगड़	1	0	0	1	1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	1	2	0	3	3	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
5.3 b	04 मीटर एवं 15 मीटर के 07 टंक वाले वीडे बायोप्लैक की खारवा	7.50	Nos.	रौंदा	1	0	0	0	0	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
				एजरीबाग	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				पराग	0	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				खगड़	1	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
				Total	1	0	0	0	0	1.800	1.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	